ASSENT TO BILL

AFRICAN DEVELOPMENT FUND BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the African Development Fund Bill, 1982, passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 19th February, 1982.

12.07 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PROBLEM OF BONDED LABOUR IN MADHYA PRADESH, HARYANA, DELHI AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY

श्री राम बिलास पासवान : (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और देश के अन्य भागों में बंधुआ मज़दूरों की समस्या और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) महोदय, बन्धुआ मजदूर गांवों में रहने वाले गरीबों में से सब से गरीब वर्ग के हैं। उन्हें आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचाने के लिए बन्धुआ मजदूर पद्धति को पूरे देश में 25 अक्तूबर, 1975 से बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन समाप्त कर दिया गया है। यह 20—सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है। यह अधिनियम अत्यधिक घृणित प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। राज्य सरकारें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन तथा प्रशासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

2. बन्धुआ मजदूर पद्धति होने की सूचना दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है।

3. मुक्त कराए गये बन्धुआ श्रमिकों को मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों के क्षेत्रीय विकास और कल्याण सम्बन्धी विभिन्न चालू कार्यक्रमों के अधीन फिर से बसाया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा 1978–79 में एक केन्द्रीय संचालित योजना आरम्भ की गई और छठी योजना (1980–1985) में इसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अनुसार एक बन्धुआ मजदूर को पुन: बसाने पर अधिकतम 4,000 .00 रुपये तक खर्च किए जाते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत के बराबर-बराबर के अनुदान दिए जाते हैं। मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों को यह सहायता आय-सृजन आर्थिक यूनिटों, जैसे कृषि उपकरणों और निवेशों, मुर्गी/बकरी/भेड़/ सुअर पालन ईकाइयों तथा बढ़ईगिरी के लिए औजार और उपस्कर तथा व्यक्तिगत रुचियों एवं आवश्यकताओं के उपयुक्त कुशलता पर आधारित ऐसे अन्य व्यवसायों के लिए दी जाती है। राज्य सरकारों से इस योजना के साथ अन्य योजनाओं, जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास की योजनाओं को, जहां कहीं आवश्यक हो, सामन्जस्य स्थापित करने की आशा की जाती है, ताकि स्थाई प्रकार का पुनर्वास सुनिश्चित किया

जा सके। 31–1–1982 की स्थिति के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए 1,33,550 बंधुआ श्रमिकों में से 42,155 बंधुआ श्रमिकों को फिर से बसाने के लिए 4.31 करोड़ रुपये की धनराशि दी थी। उपर्युक्त 1,33,550 बंधुआ श्रमिकों में से, 76,907 बंधुआ श्रमिकों को राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत फिर से बसाया गया ?

4. छठी योजना अवधि के दौरान इस कार्य को शीघ्र करने के लिए, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अब तक पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्य को पूरा करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा फिर से बसाने के लिए संवेदन-क्षेत्रों में समय-समय पर सर्वेक्षण करने के लिए प्रभावी कार्यवाहियां करें। इन क्षेत्रों में जिला सतर्कता समितियां स्थापित की गई है। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों के साथ निकटतम सम्पर्क रखे हुए हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी विभिन्न राज्यों में बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय संचालित योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ किया है।

5. बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त करवाने तथा फिर से बसाने सम्बन्धी समस्याओं पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, बैठकों आदि में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार केन्द्रीय सरकार ने चर्चायें करवाई है।

6. बंधुआ, प्रवासी तथा नैमित्तिक मजदूरों सम्बन्धी एक केन्द्रीय स्थाई समिति बनाई गई है। यह समिति कार्य-योजनाओं को समन्वित करने, बंधुआ मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और नैमित्तिक मजदूरों से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, समस्याओं/कठिनाईयों को सुलझाने तथा प्रगति पर निगरानी रखने का कार्य करती है।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह न सिर्फ लोकमहत्व का है बल्कि इस आजाद भारत के सिर पर एक कलंक भी है। आज जिन लोगों के ऊपर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं आज इतने साल आजादी मिलने के बाद भी, उनको दयनीय स्थिति को सोचने मात्र हो रोयें खड़े हो जाते हैं। इस देश को आजादो मिली और देश का संविधान बना। आर्टीकल (23) में फंडामेण्टल राइट्स में जोड़ा गया--प्रोहिबिशन आफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्ज एण्ड फोर्स्ड लेबर। इसके बाद भी आज 34 साल हो गए हैं। पहला कानून आपने सन 1975 में बनाया। कानून भी नहीं बल्कि आर्डिनेन्स के द्वारा आप ने इसको लागू किया और फिर 1976 में ऐक्ट पास किया। उन 28 सालों के दरम्यान कभी भी शासन के दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि यह आजादी किस के लिए है। शासन ने कभी नहीं सोचा कि देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो कि गुलाम हैं, जिन के दिमाग में कभी यह बात आती ही नहीं है कि वे भी आजाद हैं।

अभी मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में दस राज्यों का हवाला दिया है लेकिन शेष राज्यों की भी क्या स्थिति है? मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है मैं कहना चाहता हूं कि उन्हीं के अन्तर्गत एक डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय संस्थान और

[श्री राम विलास पासवान]

दूसरा है गांधी पीस फाउण्डेशन। इन दोनों ने ही इस सम्बन्ध में अध्ययन किया है। मेरे पास संस्थान की रिपोर्ट हैं—नेशनल सर्वे आन दि इंसीडेन्ट्स आफ दि बाण्डेड लेबर जिस के पेज 27 पर कहा गया है कि बिहार, गुजरात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश (उड़ीसा और महाराष्ट्र को इस में जोड़ा नहीं गया है) में 21.7 लाख बाण्डेड लेबर हैं। यह तो जो सरकार का एक विभाग है, उससे सर्वे कर के यह फीगर दी है कि इतने बन्धुआ मजदूर हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र और उड़ीसा की जो फीगर्स हैं उसको मिला कर यह फीगर 26 लाख बन जाती है। यह 26 लाख बंधुआ मजदूर जो हैं वे तो खेतिहर हैं। इनके अलावा भट्ठों में बंधुआ मजदूर हैं, खानों में बंधुआ मजदूर हैं या जो दूसरी जगहों पर हैं, उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या कम से कम 50 लाख है। ऐसे 50 लाख लोग आज भी इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास आज तक भी आजादी की रोशनी नहीं पहूंची है।

हमारे मंत्री महोदय जिस क्षेत्र से आते हैं, भागलपुर से, उसके पास मुंगेर, डाल्टनगंज, पूर्निया—यह सारे ऐसे स्पाट्स हैं जहां पर बंधुआ मजदूरी का नंगा चित्र देखने को मिलता है। हमारे पास के श्री राम शरण जोशी हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में अध्ययन कर के एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को दी है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ करने भी जा रहे हैं। उन्होंने केवल तीन गांवों का ही सर्वे किया है और यह बतलाया है कि बंधुआ मजदूरों को कौन सा खाना दिया जाता है। उनको प्वायजनस खाना दिया जाता है। खेसारी दाल और वह भी सड़ी हुई, उनको खाने के लिए दी जाती है। मंत्री महोदय एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहां 1,33,550 बंधुआ मजदूर हैं, जब कि श्रम संस्थान द्वारा इनकी रिपोर्ट के मुताबिक आठ राज्यों में 22 लाख बंधुआ मजदूर हैं, इस में दूसरे राज्यों की बात नहीं है। इस प्रकार यह आपस में कन्ट्राडिक्शन क्यों है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों यह सही नहीं है कि अब उसी श्रम संस्थान के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि वे ऐसा सर्वे ही न करें, क्योंकि उसने बंधुआ मजदूरों की नंगी तस्वीर सरकार के सामने रख दी है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उस पर कार्यवाही ही न करो।

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बन्धुआ मजदूरों में कोई ब्राह्मण भी है? नहीं है। क्या बन्धुआ मजदूरों में कोई ठाकुर भी बन्धुआ मजदूर है? नही होगा। इन बन्धुआ मजदूरों में 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और जो बचते हैं वे भी इसी कैटेगरी के पिछड़ी जाति के लोग हैं। इन के उद्धार के लिए आप को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देखना होगा, ताकि इन का उद्धार हो सके। इसी संबंध में स्वामी अग्निवेश, जो जनता पार्टी के हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है।

अभी हरियाणा की सरकार ने कहा है कि हरियाणा में बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जब बंधुआ मजदूर को पकड़ कर सामने लाया गया, तो कहा गया कि बन्धुआ मजदूर पर रिसर्च करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक हो नहीं पाई है। मामला हाईकोर्ट में गया और हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार ने चार महीने का समय लिया। यह चार महीने का

समय सितम्बर, में मांगा जो पूरा हो गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको डायरेक्शन देगा कि तुम बंधुआ मजदूरों के बारे में पता लगाओं, लेकिन पता नहीं सरकार सब चीजों को डिफेंड करना क्यों शुरू कर देती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय धब्बा है जो कि आपके और हमारे माथे पर लगा हुआ है, इसको मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और दूर करने के उपाय करने चाहिए। हम लोगों को याद हैं, गांव में एक हरिजन को दवाई के लिए पैसे दिए गये, तो उसको चार पुश्तों तक बन्धुआ मजदूर की तरह से काम करते रहना पड़ा।

आप ने अपने जवाब में एक सैल के सम्बन्ध में कहा है--सतर्कता विभाग। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपका यह सतर्कता विभाग कहां है? अभी तक आपने कितने राज्यों में सतर्कता विभाग कायम किए हैं, कितने जिला स्तर पर सतर्कता निगरानी विभाग कायम किए हैं? जब आपका सतर्कता विभाग है नहीं, विजिलेंस नहीं है, तो आपने यह पैसा किस को दिया है और यह पैसा कौन खर्च कर रहा है? रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो ठेकेदार घर पर काम करते हैं, वे उस में पूरा-पूरा बालू भर देता है। मैं सरकार के वक्तव्य को चैलेंज करता हूं और मांग करता हुं कि यदि सरकार के पास अभी लिस्ट है, तो अभी नहीं तो बाद में जिन बान्डेड लेबर को मुक्त करवाया है, उसको टेबिल पर ले डाउन करे। कहां-कहां आपने मुक्त करवाया है, कहां-कहां आपने बसाने का काम किया है और कहां-कहां आप ने उसको फायदा पहुंचाने का काम किया है? यहां सदन में बलीराम भगत जी नहीं है, उन्होंने 1976 में पलामू में बन्धुआ मजदूरों को इकट्ठा कर के एक समीनार किया था। उस बाण्टडेड लेबर को जब उन्होंने जुटाया तो आप को सुन कर ताज्जुब होगा--पांच साल तक लड़ने के बाद लगातार लिखा-पढ़ी करने के बाद उस को क्या मिला? एक मुर्गी। मेरे पास उस का नाम है--उसका नाम था--मुगल माझी। यह उस का रिहैबिलिटेशन हुआ। जो अन्य लोग थे, जब उन के लिए प्रयास किया गया तो उन को क्या मिला? एक पुराना बूढा बैल। इतना ही नहीं, उस से कहा गया कि तुम जाओ लकड़ी ले आओ तुम्हारे लिए घर बनाया जाएगा। जब वह लकड़ी लेने गया तो जंगल के अधिकारी ने लकड़ी तोड़ने के इलजाम में पकड़ लिया, तब उस बुड्ढे बैल को बेचकर और सब पैसा घूस में दे कर उस ने अपने को बचाया।

आप देखिए--यह कितनी दर्दनाक स्थिति है। आप के मुताबिक तो उस को रिहैबिलिटेट कर दिया गया, लेकिन बसाया गया तो उस को क्या मिला--एक मुर्गी, किसी को मिला--एक बूढा बल। जब लकड़ी लेने जंगल में गया तो फारेस्ट आफिसर ने पकड़ लिया तो बैल बेच कर जो पैसा आया वह घुस में दे दिया गया। क्या कभी आप ने यह सोचा है कि जिन लोगों को आप ने बसाया है, उनके बारे में आप के सरकारी कर्मचारियों का आउट-लुक क्या है?

आप ने कहा है कि इतने लोगों को बसाया है, जितने लोगों को आप ने मुक्त कराया उन में से 1 लाख 33 हजार को डिडक्ट कर दिया इसका मतलब है कि 1 लाख से अधिक मजदुर बंधुआ के रूप में काम कर रहे थे तो जिन के पास वे

[श्री रामविलास पासवान]

लोग काम कर रहे थे या जिन्होंने कानून का वायलेशन किया या संविधान की धारा को तोड़ा, ऐसे लोगों के खिलाफ आप ने क्या कार्यवाही की है? जो फिगर आप ने बंधुआ मजदूरों की बना कर दी है, वह ऐसे क्षेत्रों की है जैसे खेतिहर मजदूरों के मामले हैं या जो इण्डस्ट्रीयल मामले हैं जसे खानों में लोग काम करते हैं। इस लिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा--आजादी प्राप्त किए 34 वर्ष हो चुके हैं, 34 वर्षों की आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद, संविधान के मौलिक अधिकारों में प्रावधान के बाद भी आज हिन्दुस्तान में बंधुआ मजदूर मौजूद हैं, जिस का पेट भरा हुआ है, जिस का मन भरा हुआ है, जिस का इस देश के किसी नेता पर विश्वास जम नहीं रहा है, जिस को आजादी की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है, सवेरे बैल ले कर 4 बजे जाता है और रात को लौट कर आता है, यह भी पता नहीं चलता कि सूरज की किरण उस के लिए है या नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या करने जा रही है? मैंने पहले भी कहा था--आप जरा इन दोनों चीजों को जोड़ कर देखिए--बंधुआ मजदूरों में कौन लोग हैं। मेरे पास यह सरकारी रिपोर्ट है जिस में साफ लिखा है कि ये गांव के गरीब हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिस के मन को इस देश में गुलाम बना कर रखा हुआ है--ऐसे लोगों की समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे।

आप ने कहा है कि इन के लिए 25 करोड़ रूपया रख दिया है। 4 हजार रूपया आप दे रहे हैं और 4 हजार रुपया स्टेट देगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या दे पायेगी क्या नहीं दे पायेगी क्या कभी आप ने इसको रियलाइज किया है। आज गांव में जो किसान बन्धुआ मजदूरी कर रहे हैं उनको कोई भी अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार नही है। उनको सिर्फ इतना दिया जाता है जिस में वे आधा पेट रह कर काम करें। इसी लिए हम ने "फूड-फार-वर्क" का कार्यक्रम चलाया था जिस में काम करने वाले को सरकार की तरफ से चार किलो अनाज मिलता था। इस योजना का यह उद्देश्य था कि जब सरकार की तरफ स चार किलो मिलेगा, तो प्राइवेट मालिक को भी झक मार कर उतना देना पड़ेगा वर्ना वह मजदूर सरकार की योजना में काम करने जाएगा। यही इसका एक रास्ता है लेकिन आज क्या हो रहा है। हमारा जो देवगढ़ है, उस देवगढ़ में अन्त्योदय का एक संस्थान है और उस संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम शुरु हुआ है मैं आप को बताऊं कि जो हमारी सरकार है, वह 4 रूपये मजदूरी देती है और जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं, जो वालन्ट्री एजेंसीज हैं, वे 6 रूपये मजदूरी देती हैं और जो सरकार का ठेकेदार है, वह 5 रूपये मजदूरी देता है। आप यह देखिए कि वे एच्छिक संस्थायें, जिन के पास कोई फंड नहीं है, वे 6 रूपये मजदूरी देती हैं और हमारी सरकार जिस के पास काफी फंड है, वह 4 रूपये मजदूरी देती है सरकार स्वयं 4 रूपये मजदूरी देती है, साढ़े तीन रुपये मजदूरी देती है और फिर मिनीमम वेजेज की बात भी कहती है, तो इस सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अन्तर है? मैंने पहले पूछा था कि आज तक आप ने कितने करोड़ रूपये खर्च किए हैं, तो उस के बारे में तो आपने बतला दिया है लेकिन मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि कौन कौन लोगों के पास कौन कौन बंधुआ मजदूर इस

देश में हैं किन बंधुआ मजदूरों को आप ने लाभ पहुंचाया है और कहां कहां से आप ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है और कहां कहां उन को बसाने का काम किया है इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए।

आप मोनीटरिंग की बात कहते हैं। मैं आप से कहता हूं कि सदन के जो इस पक्ष के लोग हैं और जो उस पक्ष के लोग हैं और जो बंधुआ मजदूर नहीं हैं, ऐसे लोगों की आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना कर इसकी जांच करवाइये कि इसका ठीक से काम हो रहा है या नहीं और जो पैसा आप दे रहे हैं उसका उपयोग ठीक से हो रहा है या नहीं। मैं आप से यह भी जानना चाहूंगा जैसा कि मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो आपका एक डिपार्टमेंट है, आप का ही एक अंग है, वह राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहता है कि 26 लाख बंधुआ मजदूर हैं और सरकार कहती है कि 1 लाख 33 हजार बंधुआ मजदूर हैं, और ये भी 10 स्टेट्स के आंकड़े हैं और बाकी राज्यों के आंकड़े नहीं हैं, तो इन दोनों में से कौन से फीगर्स सही हैं और जिन राज्यों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है क्या उन राज्यों का सर्वेक्षण भी आप करवाएंगे। मैं ने पहले यह एलीगेशन लगाया था कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो एक अच्छा काम कर रहा था, उस को भी आप ने काम करने से रोक दिया, तो क्या आप उस को यह आदेश देंगे कि वह जा कर दूसरे राज्यों का भी सर्वेक्षण करें?

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगा कि आप ने जो यह कहा है कि जो बंधुआ मजदूर हैं उन का पुनर्वास कराया गया है, उन को रीहैबीलिटेट कराया गया है, तो उन बंधुआ मजदूरों में से फिर से कितने लोग बंधुआ मजदूर बन गए?

मैं एक बात और बहुत ईमानदारी-पूर्वक कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे यहां बिहार में एक जगह मुसहरी है, जहां पर श्री जयप्रकाश नारायण ने अपना आन्दोलन शुरु किया था। श्री जयप्रकाश नारायण के दिमाग में यह भ्रम था कि इतना ग्राम दान हो गया, इतना भूमि दान हो गए, इतना जिला दान हो गया और इतना स्टेट दान हो गया लेकिन जब वे उस गांव में पहुंचे और लोगों से पूछा कि कितनी भूमि दान में दी गई, जब इस तरह का सर्वेक्षण करना शुरु किया तो यह बताया गया कि फलां बाबू जमीन देगा, तब न हम जमीन देंगे। इस तरह से कोई जमीन नहीं मिली लेकिन जिला दान से प्रान्त दान तक सब हो गया। तो इस तरह की बात आप मत कहिए कि बोंडेंड लेबर है ही नहीं। जो लोग बोंडेंड लेबर को निकालते हैं, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लागू करना चाहते हैं, नक्सेलाइट की दफा आप उन पर चलाना चाहते हैं। बिहार में हम लोगों को मालूम है कि सासाराम में, भोजपुर जिले में, पटना जिले में, जिन लोगों ने बंधुआ मजदूरों के लिए आवाज उठाई तो क्या हुआ बौध-गया के महन्त को कौन नहीं जानता। छात्र संघर्ष वाहिनी, जो किसी पोलीटीकल पार्टी से सम्बन्धित नहीं है, ने जब इस बारे में आन्दोलन किया और जो जमीन के बटबारे की बात करती है, तो उस को गोली से उड़ाया जा रहा हैं। सरकार की पुलिस किस की तरफ से काम कर रही है? सरकार की पुलिस मठाधीश की तरफ से काम कर रही है। इसलिए सरकार की नीति और सरकार की नीयत में जब तक एकरूपता नहीं आएगी, जब तक कंक्रीट तरीके से भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक रूरल इम्पलायमेंट का काम आप नहीं करेंगे और जब तक ऐसे लोगों को नहीं लगायेंगे जो

[श्री राम विलास पासवान]

लोग सही माइने में गरीबों के प्रति, हरिजनों के प्रति, आदवासियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं और जिन के दिल व दिमाग, में बंधुआं मजदूरों से प्रति दर्द है, तब तक सही माइनों में यह काम नहीं होने वाला है । जब तक आप मन बना कर इस काम को नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप के यहां पूरा दान हो जाए लेकिन आज से 100 वर्ष के बाद भी अगर सर्वेक्षण किया जाएगा और हजार साल के बाद भी सर्वेक्षण किया जाएगा, तो उस सर्वेक्षण में यही निकलेगा कि इस देश में बंधुआ मजदूर हैं । इस देश में वे लोग भी हैं जो कि आजाद देश में गुलाम हैं और इसीलिए नारा लगाते हैं कि यह आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी हैं । इसलिए ऐसे लोगों के लिप कुछ कीजिए, तभी हमारा और आपका कल्याण होगा, नहीं तो देश सत्यानाश की ओर चला जायगा ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बन्धुआ मजदूरों की स्थिति के वर्णन का सम्बन्ध है और जिसे पासवान जी ने भी किया, उस से मैं पूर्णतः सहमत हूं । चाहे हम इस तरफ के हों, चाहे उस तरफ के हों, हमारे लिए और सम्पूर्ण देश के लिए यह बहुत अफसोस की बात है कि आजकल भी बन्धुआ मजदूर हमारे देश में हैं । कभी सरकार ने यह बात नहीं कही और आज भी नहीं कहती है कि बन्धुआ मजदूर देश में नहीं हैं । सच तो यह है कि इस की कल्पना करने, इनके बारे में सोचने और इनके बारे में कार्यक्रम को लागू करने का श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को है । उन्होंने ही इसको 1975 में शुरू किया । अब इस में क्यों बीच में ढिलाई आयी, क्यों बीच में कम काम हुआ, यह आप जानते हैं ।

अब पुनः बीस सूत्री कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जा रहा है । इस लिए आप बारबार इस पर जोर न दीजिए कि इनके लिए दर्द आपके पास है, हम लोगों के पास नहीं है । हमारे पास बहुत दर्द है और परसों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हो रही है । उसमें विचार करने के लिए प्रमुख मुद्दा यह है । उसमें सभी मुख्य मंत्री रहेंगे, प्रधान मंत्री स्वयं चेयरमन हैं । इस बैठक की चार प्रमुख आइटम्स में से एक आइटम यह भी है । अब जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा कि हमारे पास दर्द नहीं है, यह गलत बात हैं । इसके विपरीत सच तो यह है कि हमने ही इनके बारे में सब से पहले सोचा, इनके बारे में कार्यक्रम को मूर्तरूप दिया और हम इनके लिए कार्य भी कर रहे हैं ।

मैं राम विलास जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप विरोध पक्ष के उन लोगों में से नहीं जिनका कि बीस सूत्री कार्यक्रम ढोंग नजर आता हैं । आप एक होशियार आदमी हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप उनमें से नहीं जिनको बीस सूत्री कार्यक्रम ढोंग मालूम पड़ता है । यह भी प्रसन्नता की बात है कि अब आप ऐसे विषय पर जोर देने लगे हैं ।

यह सच है कि कई व्यक्तियों ने इस के सम्बन्ध में अनुसंधान किया है । आपने श्रम संस्थान की बात कही । वह सर्वेक्षण श्रम संस्थान का नहीं है । वह सर्वेक्षण गांधी पीस फाउंडेशन का है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो हमने बनाया उसके अनुसार जिनको बोण्डेड लेबर कहा जाता है या आपके अनुसार जिनको बोण्डेड लेबर कहा जाता है, उसके अनुसार बहुत कम सेम्पल लिया । उन्होंने

केवल तीन चार गांवों में बहुत कम सेम्पल लिया और फिर उसे समूचे देश के सात लाख से गुणा कर दिया । उसका सर्वे वेस्ट जर्मनी की एक फाउण्डेशन ने किया। किस के धन पर हुआ, उसके कारण इस सदन में काफी हल्ला हुआ था । इसीलिए गांधी पीस फाउंडेशन के कार्यों पर अब एक कमीशन बिठाया गया है । मैं उसके फिगर्स बिल्कुल नहीं मानता । (व्यवधान) यह मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। मैं भी होम टास्क करके आया हूं ।

श्रमिक संस्थान को गांधी पीस फाउण्डेशन ने अपने साथ एसोसिएट किया था लेकिन जब गांधी पीस फाउंडेशन ने अपने ही सेम्पल को तोड़ दिया, या उसमें कम रखा, नियम को नहीं माना, जर्मन फाउंडेशन ने जब इसमें सर्वे किया, जब उसमें कुछ राजनीति की बू आने लगी तो इस संस्थान ने अपने को उस से डिस-एसोसियेट कर लिया, अपने को उस से मुक्त कर लिया । (व्यवधान)

ये जो कानून हैं, इसको केन्द्रीय सरकार अपने से कार्यान्वित नहीं करती है । आप स्वयं भी जानते हैं । आप भूतपूर्व रहे हैं, वर्तमान में हैं । नियम बहुत से हैं । अगर हम को दखल देना होगा तो वेस्ट बंगाल में खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि यह हमारे अन्तर्गत है ।

फिगर मैं बता रहा था हमें दस राज्य सरकारों ने खबर दी है कि हमारे यहां पर हैं । बाकी राज्य सरकारों ने कहा के हमारे यहां नहीं है । इसके बावजूद भी प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को कहा और उन मुख्य मंत्रियों को भी कहा जिन्होंने कहा कि हमारे यहां नहीं हैं मैंने भी श्रम मंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि आप कैसे कहते हैं कि आपके यहां नहीं हैं । यह सदन बिना पार्टीबन्दी के इस बात से सहमत है कि जब तक कि इसका सर्वेक्षण विस्तृत पैमाने पर गांव गांव में नहीं होगा तब तक सही चित्र सामने नहीं आयेगा । हम गांधी पीस फाउण्डेशन के सर्वे से सहमत नहीं हैं । इसलिए मैं इस समस्या की विशालता और महत्ता को मानता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इसके मर्म और दर्द को हम समझते हैं और राज्य सरकारों पर बार-बार दबाव डाल रहे हैं कि वे संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे करवाएं और पता लगाएं ।

हरियाणा सरकार के बारे में आपने कहा, हमने उनको लिखा है कि ब्रिकफिल्नस में आपके यहां बंधुआ मजदूर हैं । इसके पहले हमारे राज्य मंत्री जी वहां गए भी थे और अग्निवेश जी को भी बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए । दिल्ली के बारे में भी कहा गया था, हम लोग गए थे । इस लिए इस कार्यक्रम की ईमानदारी पर विलास राम जी आप संदेह मत कीजिए ।

दूसरी बात आपने कही कि वहां-कहां लोगों को छुड़ाया गया है । आपकी पार्टियों के लोग हर जगह हैं, वहां की राज्य सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, इसके डिटेल्स आप मंगवा सकते हैं । एक-एक व्यक्ति की जानकारी रखना तो मेरे लिए असंभव है । वैसे हम राज्य सरकारों की समय-समय पर निर्देश देते रहे हैं । 1975 से अब तक कितना खर्च हुआ है, सारे फिगर्स आपको दिए हैं । विजिलेंस कमेटी की बात आपने कही तो 10 राज्यों ने स्थापित की हैं कुछ स्थानों पर और जहां पर अभी करना बाकी है, वहां के लिए उन्हें लिख दिया गया है । जिन राज्यों ने अभी यह कार्य शुरु नहीं किया है, उनको भी कहा है कि इस ओर

[श्री भागवत झा आजाद]

रुचि दिखाएं। इस प्रकार हम इस बात के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है। छटी पंचवर्षीय योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

आपने देवगढ़, मुंगेर आदि की बात की कि कंट्रेक्टर बेइमानी करते हैं। हो सकता है कि इस कार्यक्रम में कहीं-कहीं गड़बड़ी हो, इतना बड़ा कार्यक्रम है। तो ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण सामने आने पर हम राज्य सरकारों को लिखते हैं।

हम इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और राज्य सरकारों पर दबाव डालते हैं। लेकिन आप भी अपने स्तर पर सहयोग दीजिए। हमने विभिन्न ट्रेड यूनियन्स से भी कहा है, विभिन्न संस्थाओं से भी कहा है। जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक सफलता संभव नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में तो एक रुपता है, लेकिन विरोधी भी अपनी कथनी और करनी में एकरूपता ले आएं तो फिर काम आसान हो सकता है।

फूड फार वर्क प्रोग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है और रूरल एंप्लायमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनको इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जाए।

जहां तक बंधुआ मजदूरों की जाति का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि ये शेडयूल-कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से भी नीचे की जाति के हैं। हम उस वक्त जाति नहीं पूछते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि वे बहुत गरीब लोग हैं और उनके साथ अन्याय होता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: All bonded labour are *sudras.*

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I do not say *sudras.* I say, all bonded labour are much worse than *sudras.* Bonded labour are a class by themselves and they have to be rehabilitated. Therefore, don't see the caste. They are very much depressed.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : बड़े दुख और शर्म की बात है कि बीसवीं शताब्दी में आज के इस युग में भी पहले जमाने की तरह से गुलामों की खरीद और उनकी फरोख्त की प्रथा हमारे देश में चल रही है। किसी भी विचारधारा से कोई सम्बन्ध रखता हो, उसका इस पर चिन्तित होना स्वाभाविक है। पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में और विशेष कर एमरजेंसी में इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बड़े कारगर कदम उठाए गए थे। उस समय राज्य सरकारों को विश्वास में ले कर कशिश की गई थी कि यह प्रथा देश को से समाप्त हो। उस समय कुछ काम भी हुआ था। बंधुआ मजदूर रखने वाले भयभीत हो गए थे। बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको जेल भी भेजा गया और बहुत से बंधुआ मजदूरों को आजाद भी कराया गया और उनके पुनर्वास की व्यस्वस्था भी की गई। लेकिन दुख की बात है कि एमरजैंसी के बाद जो सरकार आई उसने एमरजेंसी के दौरान किए गए अच्छे कामों को भूलने के साथ-साथ इस बंधुआ मजदूरों के मामले को भी भुला दिया और समझ लिया कि एमरजेंसी में जो भी काम किए गए चाहे वे अच्छे भी थे, खराब थे और इस समस्या की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। जिस तेजी के साथ काम शुरू हुआ था अगर इसको जारी रखा जाता तो मैं समझता हूं कि आज इस सदन में बंधुआ मजदूरों की समस्या को ले कर आना नहीं पड़ता। नतीजा यह हुआ कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा चलती गई और तेजी के साथ चलती गई।

दो वर्ष पहले जब हमारी सरकार केन्द्र में और राज्यों में सत्ता में आई, दुख की बात है कि उन्होंने भी उस तेजी के साथ इस प्रथा को खत्म करने के लिए कार्रवाई नहीं की जिस तेज़ी के साथ एमरजेंसी में की गई थी। आज हमारे श्रम मंत्री जी बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं, और इंसानियत के नाते और एक जिम्मेदार आदमी के नाते उनको सच बता कहनी भी चाहिए, कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस देश में बंधुआ मजदूरों की प्रथा चालू है। दूसरी तरफ हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों के मुख्य मंत्री बराबर असम्बलियों में और बाहर भी यह कह रहे हैं कि हमारे यहां बंधुआ मजदूरों की प्रथा नहीं है। यह श्रम मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच अन्तर्विरोध है। अगर हरियाणा के मुख्य मंत्री ने आपके पास अपनी यह रिपोर्ट भेजी है कि उनके यहां बंधुआ मजदूर हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि इस में लाज की बात नहीं होनी चाहिए और यह समस्या है तो इसके समाधान की कोशिश होनी चाहिए। समस्या को छिपाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस मामले में राज्य सरकारों को भी केन्द्र के साथ सहयोग करना चाहिए। ऐसा वे नहीं कर रही है। मैंने कई आर्टिकल पढ़े हैं, समाचारपत्रों में भी मुझे यह पढ़ने को मिला है कि बहुत सी राज्य सरकारें इस बात में आनाकानी कर रही हैं कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के खर्चे को वे बरदाश्त करें। आधा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है और आधा राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए खर्च करना होता है। लेकिन अधिकतर राज्य सरकारें इस खर्चे को भी बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, आनाकानी कर रही हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार की आनाकानी के कारण ही स्थानीय अधिकारी बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए, उनको आइडेण्टीफाई करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ वह उन्हीं का साथ देते हैं जो बंधुआ मजदूर रखते हैं और ऐसे ठेकेदार उनसे काम लेते हैं, उन्हीं का अधिकारी लोग साथ देते हैं और अक्सर बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए जो कार्यवाही की जाती है, या स्वयं वह छोड़ कर भागना चाहते हैं उन्हीं के खिलाफ पुलिस के लोग कार्यवाही करते हैं। यह हकीकत है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं बधाई देता हूं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस मामले में कुछ काम किया है, और जो कुछ भी काम हो रहा है मैं समझता हूं यह सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से, चाहे वह कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हों, यह मामलों हमारे सामने आ रहा है। वह अधिकारियों का ध्यान उस तरफ ले जा रहे हैं, सरकार और अदालतों का ध्यान इस तरफ खींच रहे हैं, तब जा कर यह समस्या सामने आई है। नहीं तो बहुत दिनों पहले राज्यों के मुख्य मंत्री इन्कार करते थे कि बंधुआ मजदूर उनके यहां हैं। यह एक बड़ी विकट समस्या है, और मुझे प्रसन्नता है कि जो अभी श्रम मंत्री जी ने बताया कि नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें सब प्रदेशों के मुख्य मंत्री होंगे उसमें बंधुआ मजदूरों की समस्या एजेण्डे का एक प्रमुख आइटम है। सब लोग चाहते हैं कि इस कुप्रथा को हमेशा के लिए देश से समाप्त कर दिया जाय चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।

फिगर्स में मतभेद हो सकता है, इसके चक्कर में मैं नहीं जाता, चाहे 20 लाख हों या 50 लाख हों, इसमें शरमाने की बात नहीं है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सतह पर एक एजेन्सी कायम की जानी चाहिए

[श्री जैनुल बशर]

जिसका केवल यह काम हो कि वह बंधुआ मजदूरों को आइडेंट्रिफ़ाई करे और उनको छुड़ा कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे और उसका खर्च केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, या दोनों मिल कर वहन करें। लेकिन एक केन्द्रीय एजेन्सी होनी चाहिए जो आइडेंटिफिकेशन और रीहैबिलिटेशन का काम करे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसी एजेन्सी कायम करने पर विचार कर रहे हैं ? क्योंकि हमारे देश की बिडम्बना है कि हमारे विरोधी दल के नेता हों या दुसरे मज़दूर हों या हमारे मज़दूर नेता हों, हम लोग आर्गेनाइज्ड लेबर के लिए लड़ते हैं जो 1,000 रु० या 1,500 रु० तनख्वाह पाते हैं उन्हीं की तनख्वाह बढ़ाने के लिए हम सड़कों पर मार्च करते हैं, धरना देते हैं और सदन से भी वाक आउट करते हैं। लेकिन अनआर्गेनाइज्ड लेबर की एक बहुत बड़ी फौज चाहे शहरों के स्लम्स में रहती हो या गांवों में रहती हो, उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं गया है। उनकी तकदीर को संवारने के लिए हम में से कोई काम नहीं कर रहा है। अभी उनको आर्गेनाइज़ करने का चन्द ही लोग काम कर रहे हैं, अधिकतर लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। और यही कर कारण है कि आज बंधुआ मज़दूर उसी अनआर्गेनाइज्ड लेवर में से आते हैं वह चाहे रूरल एरिया में हों या अर्बन एरिया में हों। पत्थर की खदानों, भट्टों पर यह लोग मिलेंगे। स्वयं जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां आबादी नहीं है वहां बिजली, स्टील के कारखानों में या कोयले की खदानों में बंधुआ मजदूरों के जरिए काम लिया जा रहा है, और यह प्रथा और जोरों से बढ़ रही है कांट्रेक्ट लेवर के माध्यम से। एक आदमी को मज़दूरों का ठेका दे दिया जाता है कि वह 1,000 या 500 मज़दूर ला कर दे। और यह कांट्रेक्टर माफिया गैंग के होते हैं, गुण्डे होते हैं जो लेवर सप्लाई करते हैं और जबरदस्ती बंधुआ मज़दूरों को अपने पास लाते हैं। जैसे कि उनको जेल में रखा जाता है, उसी तरह से उनकी निगरानी करते हैं, कहीं जाने-आने नहीं देते। इस ठेकेदारी प्रथा से काफ़ी संख्या में बन्धुआ मजदूर इकट्ठे करने की होड़ लगी हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह लेवर की कंट्रेक्ट प्रथा को भी समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं ? अगर इस कांट्रेक्ट लेवर को समाप्त कर दिया जाये और सरकारी एजेन्सियां जो कि आजकल बड़े प्रोजेक्ट चला रही हैं जैसे कि सरकारी कोयले की खदानें हैं, मिनरल्स की खदाने हैं, वहां पर डायरेक्ट लेवर, सीधे मजदूर भर्ती किए जायें तो एक बड़ी संख्या में वन्धुआ मजदूरों को छुट्टी मिल सकती है और इस प्रथा को खतम किया जा सकता है।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि यह वन्धुआ मजदूर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। हमारे देश में पर्दे के पीछे खास कर औरतों का बन्धुआ मजदूरी का बहुत बड़ा काम हो रहा है। बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के बाजारों में लोगों की वासना को तृप्त करने के लिए औरतें खरींदी जाती हैं, उनकी बिक्री होती है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में औरतों की खरीद और बिक्री का काम चल रहा है। यह बन्धुआ मजदूरी से भी बुरा धन्धा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी तरफ भी उनका ध्यान गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि इन वन्धुआ औरतों को भी जो सैक्स के बाजारों में बेचा और खरीदा जाता है, क्या उनके उद्धार के लिए भी आपने कुछ सोचा है और आप क्या करने जा रहे हैं ?

जैसा मैंने पहले कहा कि राज्य सरकारें आनाकानी कर रही हैं, उनके आइडिएण्टीफिकेशन में भी और पुनर्वास में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में वर्षवार कितना पैसा बन्धुआ मजदूरों के रिहैब्लीटेशन के लिए रखा गया और राज्य-वार कितना कितना पैसा उनके सैटिलमैंट के लिए खर्च किया गया ?

एक बात यह भी जानना चाहता हूं कि बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास न होने के कारण बहुत से बन्धुआ मजदूर, जो कि छुड़ाये जाते हैं, आजाद करवाये जाते हैं, वह मजबूरन पुनः वापिस चले जाते हैं। क्या ऐसे आंकड़े मंत्रीजी के पास हैं कि जो मजदूर छुड़ाये गये, उनमें से कितने फिर वापिस चले गये ? क्या इस तरह का सर्वे उन्होंने कोई कराया है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nowadays this Calling Attention discussion has become a general discussion. I am sorry.

श्री जैनुल बशर : सैंट्रल स्टैंडिंग कमेटी आफ रूरल आर्गेनाइड लेबर की एक सब-कमेटी ने इस मामले की जांच की थी बन्धुआ मजदूरों की, क्या उसकी जांच की कोई रिपोर्ट मंत्री जी को मिली है ? यदि हां, तो उसमें उन्होंने क्या पाया और उनके क्या सुझाव हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर): बहुत अच्छा बोलते हैं, इधर रहते तो और अच्छा बोलते।

श्री भागवत झा आजाद : हरिकेश जी, यह इस बात का द्योतक है कि आपसे अधिक समझने वाले लोग इस तरफ हैं और जब तक आप थे, अच्छा समझते थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: His name has not come out in the ballot. Therefore, he wants to utilise this time. Therefore, do not mention his name.

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, वह कहते हैं कि इतने अच्छे मेम्बर इस तरफ हैं। उनसे अच्छे अधिक मेम्बर इस तरफ हैं, इसीलिए सरकार यहां पर है।

श्री जैनुल बशर ने यह बात सही कही कि जब इस कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ जब प्रधान मंत्री ने 1975 में इस पर विचार किया, सोचा और एक विस्तृत कार्यक्रम देश को दिया तो उस वक्त इस कार्य में तेजी आई और प्रगति हुई। उसके बाद बीच में जब अन्धकार का युग आ गया, देश में एक नई सरकार आ गई, तो जैसा श्री जैनुल बशर ने कहा, काम में बहुत धीमापन आ गया। बात सही भी है।

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): This law was passed in Rajasthan and many other states before 1975. How do you say that it was conceived in 1975.

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि ऐसे कानून राजस्थान में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अन्य रूप में थे, लेकिन अखिल-भारतीय पैमाने पर बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ही देश के सामने रखा था।

SHRI SATISH AGARWAL: Now it is a question of bonded labour.

MR. DEPUTY SPEAKER: You can accept that.

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जैनुल बशर ने ठीक कहा है कि इस काम में तेजी आई थी, मगर बीच

[श्री भागवत झा आजाद]

में उसमें कमी आ गई। अभी उधर से कोई मित्र उठ कर इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि यह सही नहीं है, लेकिन यह बात सही है। (व्यवधान) मैंने आपका नाम नहीं लिया। आपको कैसे मालूम हो गया ?

जब से पुनः यह सरकार आई है और प्रधान मंत्री ने अपना संशोधित विस्तृत कार्यक्रम देश को दिया है, तब से फिर इस काम में तेजी आई है। प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बारे में मुख्य मंत्रियों को लिखा है। जैसा कि मैंने कहा है, हम इस प्रश्न को इतना अधिक महत्व देते हैं कि परसों नैशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और यह बहस का एक प्रमुख मुद्दा होगा।

जो मैंने कहा है और जो श्री जैनुल बशर ने कहा है, उसमें अन्तर्विरोध नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने बंधुआ मजदूरों के अस्तित्व को स्वीकार किया है और कुछ ने कहा है कि हमारे यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं। मैंने यही कहा है कि मुख्य मंत्रियों और मेरे कहने में कोई अन्तर्विरोध नहीं है जिन राज्यों ने कहा है कि उनके यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं —हो सकता है, यह सम्भव है—, हमने उन्हें भी पत्र लिखा है कि वे इस बारे में सर्वेक्षण कराएं, इस बात की निगरानी करें कि कहीं ऐसे मजदूर पता लगाने से छूट न गए हों।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में कमी मालूम पड़ती है। ऐसी बात नहीं है। 1,33,550 मजदूरों में से अभी तक जिनका पुनर्वास हो गया है उनमें से 42,155 का तो केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पुनर्वास किया गया है और 76,907 को राज्य सरकारों ने अपना धन मुहैया कर के बसाया है।

माननीय सदस्य ने सर्वेक्षण कराने की बात कही है। इस बारे में विशाल पैमाने पर सर्वेक्षण करना होगा। बंधुआ मजदूर कहां-कहां हैं, कितने हैं, यह नहीं कह सकते। लेकिन सब लोग अपना-अपना अंदाज लगाते हैं। हमने नेशनल सैम्पल सरवे के जरिये सर्वेक्षण कराया है, जो इस सम्बन्ध में देश में सब से अधिक स्थाई संस्था है, और हमें अभी तक 3,40,000 की सूचना मिली है।

लेकिन प्रश्न आंकड़ों का नहीं है। हो सकता है कि बंधुआ मजदूर इससे अधिक हों, हो सकता है कि कम हों। प्रश्न इस बात का है कि वर्तमान सरकार इस बात पर जोर देती है कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जाए और उन्हें बसाया जाए। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। हमने दिसम्बर, 1981 में सैंट्रल स्टैंडिंग कमेटी आन बांडिड माइग्रेण्ट एण्ड कैजुअल लेबर बनाई। उसकी पहली बैठक हुई है। उसने जो सुझाव दिए हैं, उन पर कार्यवाही हो रही है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं है कि हम केन्द्रीय स्तर पर एक ऐसी एजेन्सी बनायें, जो स्वयं यह काम करे। इस कार्य को राज्य सरकारों के द्वारा ही कराना पड़ेगा। हम उन्हें समय-समय पर निर्देश और सलाह देंगे और उनके द्वारा यह कार्य करवायेंगे।

माननीय सदस्य ने कुछ और प्रश्न भी किए हैं, जिनका इस विषय से सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने कण्ट्रेक्ट लेबर की बात कही है और हमारी बहनों की ख़रीद और बिक्री का प्रश्न भी उठाया है। मैंने बताया है कि छठी योजना में इसके लिए 25 करोड़ रुपये रखे गये हैं और हम चाहते हैं कि इस बारे में जितनी तेजी से कार्यवाही हो सके वह की जाए।

राज्य सरकारों को जो सहायता की आवश्यकता होगी, वह हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। वे अपने स्तर पर भी अपनी स्कीम्ज के अन्तर्गत इस काम को कराएं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि अगर इस काम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और विरोधी बंधुओं का भी सहयोग रहे, तो हम इस बड़े प्रश्न को बहुत तेजी के साथ हल कर सकेंगे। हम इस काम को बहुत सिनसेरिटी और तेजी के साथ करना चाहते हैं।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): What about bonded women?

13.00 hrs.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Mr. Deputy Speaker Sir, I would like to raise certain questions and issues and I am sure if the tears of the Members of the House are not yet dried up, looking to the horrible-stories and issues which I am going to raise, I am sure these tears would be frozen. Sir, I am one with the Minister in admitting, on this question, we have to raise above the political parties and that is precisely the reason why Members of both the sides of the House have given notices of call attention.

I would like to ask the hon. Minister whether it is not a fact that only 20 kms. away from the national capital of the country, there are about 50,000 workers who have been employed in different stone quarries and lot of malpractices involving even the bondage of bonded labours have already been discovered by various agencies. Is it not a fact that it is not merely a marginal case of one particular law being violated? From the Minister, I would like to know categorically, whether it is not a fact that wherever there are bonded labours in the country, there have been violations of Articles 14, 15, 19, 21, 23 and 24 read along with Articles 38, 39; 39A; 41; 42; 43 and 47 of the Constitution? All those Articles of the Constitution are being violated.

Secondly, is it not a fact that the Inter-State Migrant Workmen (Regulation and Employment and Conditions of Service) Act, 1979, is flagrantly violated in a number of cases The Minimum Wages Act, again has been violated. Equal Remuneration Act, 1977—whether that is violated or not? The Employment of Children Act, 1938 read with Amendment of 1979 which prohibits employment of children in any hazardous work—whether that has also been violated or not? Whether the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 to which my colleague has referred earlier, has also been violated or not? I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact or not that wherever there are bonded labours working in the stone quarries, as in the Suraj Kund Complex in Haryana, and that whenever a blast occurs in some of the areas, no compensation has been paid and no medical treatment has been given? Even the ordinary first aid, which is supposed to be available to any one who has been hit by accident, even that is not available.

This issue came to light because of a very important judgment. I was one of the Members who have given an adjournment motion on this subject. The hon. Speaker was kind enough to observe that the subject was extremely important and therefore, directed, that instead of adjournment motion, I can give some other notice. I said, "I have given six notices under all possible Rules and you can make any free choice out of the six". Possibly, it has come in the form of call attention and the entire case arose out of a very important interim order of the Supreme Court on the 5th of March, 1982. The Supreme Court gave an interim order and that order was to release the bonded labours from the Suraj Kund Complex in Haryana—that is the stone quarries, where the workers

[Prof. Madhu Dandavate]

were working. In addition to that, it directed the Advocates Commission to go on the spot at a number of places and to report as to what exactly the situation is. Sir, there has been a violent attack after the decision. My adjournment motion arose out of the fact that the Supreme Court in its interim judgment of 5th March, 1982, released the workers from the bondage—bonded labours were released—and after that the employers and their hooligans with the help of the police tried to attack the released bonded labours. In fact, that is the contempt of the House and contempt of the Supreme Court. That is the reason why I have brought the adjournment motion. Though the adjournment motion had not been admitted, from the discussion in the House, I find that the spirit of the adjournment motion has already been admitted. This is what has happened. Even the Supreme Court mandate has not been observed.

I would ilke to quote before you a very grim story of what happened in Karnal. I have myself gone to the spot along with the bonded labours, Mukti Morcha Workers. I have found on the spot what has happened and, on the basis of that, I would like him to confirm the story from his officials. I do not expect him to give the reply on the spot. Probably, if he is aware of all these developments, he may reply. Otherwise, let him try to confirm the story. It is a very grim story. I am sure that it will touch the heart of every member in this House.

What was the tragic story? This is what happened at the Karnal Brick Kiln. There are a number of brick kilns where the maximum number of bonded labour are there. Here are some of the developments that occurred. Mr. Sube Singh himself was a bonded labour working at the Karnal Brick Kiln. He had a 14-year old daughter. Her name was Gulabo; she was suffering from T.B. She was one amongst the 32 bonded labour working there. When a lot of trouble was going on, the original employer sold all the 32 bonded labour including this 14 years old girl whose name was Gulabo for Rs. 16,000—as if it is a raw material that can be sold; human lives are treated like raw material and they were to be thrown into the dust-bin. Therefore, they were sold for Rs. 16,000 and they were again made bonded labour. Who was the new employer? They were sold to another brick kiln owner at Ladva whose name was Lalagatram.

The Supreme Court instructed the Deputy Commissioner of Kurukshetra on 19th February, 1982—the hon. Minister can confirm this—to go along with the District Judge and a police force—their instructions were clear—to the spot, make necessary investigations and report back to the Supreme Court as to what exactly were the complaints regarding the bonded labour.

It is a very interesting story as to what happened afterwards. The Deputy Commissioner of Kurukeshetra, Mr. Pradip Kumar, went without a District Judge, flouting the directive of the Supreme Court. He only took a police force with him, he took a blank paper. He asked the police to beat up the bonded labour and he told them to put their thumb impressions on the blank paper. They said, "We do not know what is written". He said, "Don't worry". They were beaten with lathis. They put their thumb impressions on the blank paper. There was no District Judge as directed by the Supreme Court. There was only the police force along with the Deputy Commissioner of Kurukshetra. The blank paper with thumb impressions was taken and something was written on that afterwards.

What was written on the blank paper? It was written by the henchmen of the Deputy Commissioner of Kurukshetra in the name of bonded labour that "We are quite happy in

the stone quarry where we are working; there is no harassment; there is no violation of laws; we are getting our remuneration according to the prescribed laws; there is no molestation of women; no atrocities are taking place. We are quite happy".

The report was submitted to the Supreme Court. A very interesting story to note further. When this fictitious report was submitted to the Supreme Court—still there is a very independent judiciary in the country; the judges are human beings and their conscience is not yet mortgaged—the Judges said, "We refuse to believe in this document which has been produced before the Supreme Court". Therefore, they directed two Advocate Commissioners to go to the spot in Karnal and find out whether the document with thumb impressions of the bonded labour was genuine and properly authorised. They along with the police force went to the spot. They allowed the police force to remain aside and they wanted separately to meet the bonded labour. They went in search of the bonded labour. They were not found at the place of employment. Then, they went roundabout a number of kilometres and they found the bonded labour in a jungle. When the employer came to know that a team of two Advocates sent by the Supreme Court was coming to verify whether the document was correct, they were kidnapped. Ultimately these two members were able to detect the kidnapped men in jungle. They were lying there. There was no police force with them.

Those two advocates told them "You give us the facts. Tel us the truth. You will not be victimised for telling the truth," and those kidnapped victims, the workers, the bonded labourers, told them "On blank paper, our thumb impressions were taken. We never believe that we are happy. We never told that we are happy. We are constantly harassed. They said "Our women are being molested. Our honour is at stake. A number of laws are violated and everything is happening," and when they gave the story, then, they returned back to Delhi.

In the meantime, the bonded labourers, the 31 bonded labourers, along with the girl of 14 years, when they were brought to Delhi, that girl did not receive any medical treatment. She was in the worst possible state of health and ultimately when she came to Delhi, that girl died here.

I am raising this question in the name of the dying girl who died as a bonded labourer of this country. She will be a lasting shame to our country's honour. that such and such bonded labourer could not survive, even a TB patient could not survive. She happened to be a bonded labourer. She did not belong to the aristocratic class and, therefore, no hospitalisation was possible. She was harassed. She was molested and ultimately she died. This is nothing but cold-blooded murder. It is not a murder in the technical sense or in the legal sense. But, by the manner in which she was treated, this is nothing but cold-blooded murder and she died. 31 members were brought here.

The two advocates submitted a report to the Supreme Court. The Supreme Court went through the report. The final judgment is yet to come. But the Supreme Court was so much moved by this report given by the two advocates that on 5th March, 1982, they gave an interim ruling, interim order, that all those working at the stone quarry were bonded labourers and that they must be immediately freed from their bondage and then the story continues. Even when they were released from bondage, they were attacked and they demanded "Give us police protection." Some of them are coming from Madhya Pradesh. There is no mention of Maharashtra.

Some of them are coming from the Akola district of Maharashtra. Some

[Prof. Madhu Dandavate]

of them are coming from Andhra Pradesh. Some of them are coming from Orissa and some from Bihar. All these members were there. They want protection.

I have publicly issued a statement demanding that the Government should be prepared to give them protection to enable them to go back to their respective places. They are migrant workers. They want police protection to go back to their respective places. They want proper treatment. They want their rehabilitation in their respective States. They want transportation arrangements. They say "We are not able to go back.' I have personally met them. They said "We are not in financial position to go back to our States and, therefore, give us financial assistance. Give us transportation arrangement."

My concrete question is whether the Minister will be prepared to accept the suggestion that whenever these migrant workers are sent back to their respective States, they will be given protection by the Government or at least give advice to the State Governments wherever the employment guarantee schemes are in operation? It will be a constructive avenue through which the bonded labourers can be rehabilitated and I want to know whether that would be possible.

Having stated all these cases, I would like to ask some questions:

(i) Whether, for all these workers who want to return back to their respective States, Police protection and transportation arrangements would be made available and rehabilitation facility would be given.

(ii) Whether the Government would be prepared to produce a white paper on the position of the bonded labour in the country. What exactly is the estimate?

PROF. N. G. RANGA: What for is the white paper?

PROF. MADHU DANDAVATE: Naturally, white paper cannot be brought from the grocer's shop and produced in the House. Only after preparation and survey, it will be prepared. I think that the Government is responsible enough to prepare the white paper after surveying. I am sure that they will not prepare the white paper first and then prepare the survey and then write out the conclusion. I am sure they will not do it.

The Gandhi Peace Foundation and the National Labour Institute have already prepared certain reports. You may say that that has been done in collaboration with someone-else. As far as the humanitarian task is concerned, I am not worried in whose collaboration they have prepared the report, but they should not be harassed only because they have brought the truth to light. The Haryana Chief Minister has totally denied that. The Chief Minister of Haryana has denied that there are any bonded labour in Haryana. I think this is the greatest distortion of truth. Therefore, I think he will find out from the Haryana Chief Minister that in spite of such documentary evidence and after the 5th March interim order by the Supreme Court, how dare he challenge the fact that there are bonded labour.

Sir, he made some reference to the report. I have with me a report Probably he has also got a copy of the report—

रीवा जिले के तीन गांवों का

आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण

The report is called:

'लगड़े गांव की कहानी'

This is not only 'लगड़े 'गांव की कहानी'

but this is the tragic story of every bonded labour in the country and if you go through this report. you will find that some of the agri-

cultural labour and other kinds of labour also in these three villages in the Rewa District of Madhya Pradesh were given Kesri dhal and due to some peculiar property of this dhal, their legs are totally paralysed. That has been mentioned here. If their legs are paralysed, then they become crippled. I do not know whether this is to be taken as a contribution to the International Year of the Disabled. This report is called

'लंगड़े गांव की कहानी'

because these people who swallow Kesri dhal become crippled and their legs are paralysed. All that has been mentioned over here and he challenges the truth and the authenticity of this document. But let us not indulge in partisan politics as far as this report is concerned.

You will be surprised to know who are the persons who released this report. This report has been released in the Constitution Club in Delhi on 6th March, 1982 by no less a person than Mr. Arjun Singh, the Chief Minister of Madhya Pradesh. This is not a document of the Opposition. This is not a document of the Janata Party. This is not a document of your much-hated Opposition. This is a document which has been released by the Chief Minister of Madhya Pradesh on 6th March, 1982 in the Constitution Club in the very national capital of this country. Please do give proper weight to the report and if there are any findings which again is a matter of shame for the country, a matter of shame for any government, a matter of shame for any citizen, in that case, let us try to rectify those things.

As far as the bonded labour are concerned, the most tragic aspect of the bonded labour is—my friends have referred to that—that the investigations indicate that 97 per cent of the bonded labour are Harijans and Adivasis. You are having an academic discussion saying that the bonded labour are even below the level of Harijans and Adivasis. I want to ask you, Mr. Deputy Speaker, Sir. You also come from a powerful movement. I want to ask you the question. Is there any caste or community in the country lower than the Harijans and Adivasis in the country? That is the level to which they have sunk. I do not think there is any level below the level of the Scheduled Castes and Adivasis in the country. 97 per cent of the bonded labour happen to be Adivasis and Scheduled Castes. Remember, the estimates are varying. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission has given an estimate of bonded labour. I would like to know from the hon. Minister. You have given the Government's estimate. Will you give me the estimate of the bonded labour in the country made by the Castes and Scheduled Tribes Commission? I will be happy to know that.

In the end I will say that if all these problems are to be solved, if all the agonies of the bonded labour are to be solved, it is the Government work and the voluntary agencies' work that has to be co-ordinated. Please don't be drunk with power. You can say that we are in the Opposition side. But there are a number of voluntary organisations in the country. They have the Gandhian spirit embedded in them. Still this country has not discarded one Gandhi in favour of another...

MR. DEPUTY SPEAKER: Every Member of Parliament can also extend his co-operation to the Government because this is a national issue. You only know how many bonded labour are there in your constituency and you know better than the Government. Therefore, you also extend your co-operation.

PROF. MADHU DANDAVATE: As far as I am concerned, I have listed the entire questions from the Opposition side. I have also said that if you so desire, please do not think that

[Prof. Madhu Dandavate]

by criticising us you can solve the problem. By praising the emergency did you think that you had solved the problems of the country? Hundred times you praised the emergency. But, for God's sake, please solve this problem of bonded labour. This is my earnest appeal to them and I hope and trust that the hon. Minister will answer some of the queries that I have raised in the course of the calling attention discussion, Sir, I have done.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): I can explain to him the Karnal case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your name is not here. The Minister is now going to reply.

SHRI RAJESH PILOT: I can bring out the facts in this case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot. Mr. Pilot, please sit down. The Minister.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Mr. Deputy-Speaker, Sir, so far I have replied to the questions on behalf of the Government to the questions by an hon. Member on this side of the House purely on non-partisan way. I say that the bonded labour in this country belongs to the lowest strata of the society. But Prof. Dandavate has given a political overtone to this question. On this question, therefore, I am not prepared to agree to the statement of what he said. He raised partisan issues. As I said, we are doing our best to see that the bonded labours are freed as we have done earlier. Why take a major portion of the timing of this just by relating one case only about which I cannot of course say just now. This gentleman says that the case is now in the Supreme Court. The Supreme Court will take care of it. The Supreme Court has sent for the advocate. And it has heard the case. It has released seventy brick kiln workers from Haryana. I do not deny it. In this process, the Supreme Court has asked the Haryana Government to appear on the 19th April. That also I know.

As regards this particular case, it is for the Supreme Court to decide—not for me. Shri Rajesh Pilot will tell you the other side of the story.

Sir, I have never said that the Haryana Government has said that there is no bonded labour. Even if it had said that there was no bonded labour, I had asked again to personally find that out. There may be a few of them who are left out.

About the case of Gandhi Foundation, he goes on saying about this several times, I have said whether it is a question of bonded labour or agricultural labour, we require the support of the voluntary associations in a much larger way than the Government Agencies. By this kind of doing by Prof. Dandavate, he has only added political overtone to the whole question of the bonded labour. He said that nothing had been done by the Government in this country about this. What he said about Gulabi might be correct. But, there are 1,33,550 cases of bonded labour in the country. It has also appeared in the paper of yesterday. The Opposition was also in power in many of the States before 1975. Why did they not do that? It was we who started this. And we are doing it. We are not making a political case out of this.

Prof. Dandavate referred to the Migrants Labour Act, Minimum Wages Act, Children's Act. I think I am not expected to reply as I do in the labour debate. In this House, he did not refer to the Bonded Labour System (Abolition) Act. He did not refer to it at all. He referred to the other acts. This is also an important act. You can always say

that you are bound to do that. If there are violations of these acts, there are remedial measures for the same.

On this occasion, Shri Paswan was also trying to make the bonded labour issue as an partisan issue. But by linking all this to the entire labour policy, Prof. Dandavate is guilty to the charge that he has not taken the bonded labour on a non-partisan issue but on a partisan issue. Therefore, I again say that you are guilty to the charge. Sir, we are doing our level best. There are many other issues which should be taken above the partisan issues. That was what I was saying. If there are violations of the Acts, it is not proper to bring in the whole labour policy here. (*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU: *rose.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly take your seat. Don't be impatient. It is for the Government to reply.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Therefore, Mr. Deputy Speaker, what I say to Prof. Dandavate is that if the cases of Gulabo, Sumer Singh and other bonded labour are true then, of course, it is a question of shame I would not defend. Why should I? (*Interruptions*)

I don't defend it but the point is the actual facts about these matters should be known. The hon. Member has given a long detailed account of the Supreme court looking into them and the Haryana Government is going to reply on the 9th April. But, Sir, it was a big condemnation of our labour policy. I would like to say that Prof. Dandavate is not helping the bonded labour by all this, that is, by mixing all the labour Acts. Kindly stick to this particular case and to that my reply is that bonded labour Act has been there. Prime Minister has given top priority to this. This is being discussed in the National Development Council day after tomorrow. We have written to the State Chief Ministers and the Labour Ministers. Prime Minister has also written in this respect. We are asking the State Governments. Ten States have said 'yes'. Those who have said 'no' we have again written to them to find out as ours being a big country this thing might be there in some corner.

Sir, it is a big question to be tackled in a big way. We should sometimes rise above the party level. I can assure the House that we are doing our best. We have given Centrally sponsored schemes. We have asked the State Government to release land and house sites and other loans. 76,000 have been rehabilitated by the State Governments and 44,000 and odd have been rehabilitated by us. Therefore, our sincereity should not be challenged. Wherever they are it is bad for us and for the country. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, with your permission I wish to state here again that bonded labour itself is defined as one who is subjected to certain conditions in which a number of labour laws which govern the conditions of work are violated. That is in order to spell out how they have become bonded I have referred to them and even the Act which has been quoted says that there are various laws which are violated regarding work and that itself institutes bonded labour.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, the bonded labour has been defined in this Act of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 Section 2 from (e) to (j) and they do not refer to the acts which the hon. Member has referred to.

श्री हरीश रावत : (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने, एक राजनीतिक संस्था विशेष के डाकुमेंट का हवाला देकर इस समस्या को

[श्री हरीश रावत]

राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, मैं उन से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाल इस समस्या की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डालने का नहीं है, सवाल तो हमारी उस मानसिकता का है, जिस मानसिकता के अन्तर्गत हम गरीब, दीन-हीन व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उस का शोषण करके अपने आर्थिक स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक इतनी बड़ी समस्या है, जिस को केवल सरकार की जिम्मेदारी मान कर के नहीं छोड़ा जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को इस के बारे में सोचना चाहिये। और जो भी सरकार हो उस के साथ इस मामले में सहयोग करना चाहिये। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मैं समझता हूं कि दिल्ली के अन्दर ही वहां से बहुत से लोग आ कर घरेलू कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। जो लोग घरों में बरतन मलने का कार्य करते हैं वे या तो जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं उस क्षेत्र से आते हैं या हिमाचल से आते हैं या फिर नेपाल से आते हैं। सब से बड़ी दुर्दशा इन लोगों की है। ये व्यक्ति भूख से पीड़ित हो कर आते हैं। नाम मात्र का पैसा ले कर ये लोग शहरों में आकर काम करते हैं। किसी के घर में उन को नौकरी मिल जाती है तो वे पेट पालने के वास्ते अपना पूरा श्रम देते हैं और जब छः महीने या साल के बाद पैसा मांगते हैं तो उनको या तो निकाल बाहर कर दिया जाता है और अगर कोई इंसस्टि करता है तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती है कि वह चोरी कर रहा था। अगर वह ज्यादा जोर देता है तो पुलिस उस के खिलाफ केस रजिस्टर कर देती है और उस को दूसरी जगह नौकरी भी नहीं मिलती है और वह बेचारा सड़कों पर भटके खाता है। जो घरेलू कर्मचारी राजधानी तक में काम कर रहे हैं उन की समस्या बड़ी जटिल है। उन के वास्ते आप कोई सर्वे करेंगे और इन की हालत को सुधारने के लिये कोई कदम उठाएंगे? इसी संसद में दो एक बार भाई कमल नाथ जी ने और मैंने इस प्रश्न को उठाया है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

ठेकेदार के पास भी ऐसे लोग काम करते हैं, जमींदारों के खेतों पर भी करते हैं और उन की संख्या भी बहुत बड़ी है। इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए क्या इस का कोई हल निकालने की कोशिश मंत्री महोदय कर रहे हैं?

मंत्री महोदय ने कहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 के अनुपालन का अधिकार राज्य सरकारों का है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम इस में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो राज्य सरकारें कहती हैं या कुछ व्यक्ति जो राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए जाने के हिमायती हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि आप राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक राष्ट्रीय समस्या है। सारे देश के माथे पर यह एक कलंक के समान है। मैं समझता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए अगर आप को थोड़े बहुत अधिकार राज्य सरकारों से छीनने भी पड़ते हैं, राज्यों पर अंकुश या नियंत्रण भी लगाना पड़ता है तो केन्द्रीय सरकार को इस संदर्भ में इस पर विचार करना चाहिये और ऐसा करते से डरना नहीं चाहिये कि पश्चिमी बंगाल के मित्र या वहां की राज्य सरकार या वे लोग जो ज्यादा अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाने के हिमायती हैं वे क्या कहेंगे।

सवाल केवल कानून बनाने का नहीं है। सवाल कानून के माध्यम से जिन लोगों को मुक्त कराया जाता है उन को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, यह भी है। जब आप किसी को जमींदार के पंजे से छुड़ाते हैं और जो पहले उसे सौ या दो सौ रुपया दे रहा होता है तो छूटने के बाद बैंक या डिवेलेपमेंट

स्कीम्ज उनकी मदद के लिए सामने नहीं आती है और उस हालत में वह बांडिड लेबर फिर से जमींदार के पास जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और वह उन को जहां पहले सौ रुपया दे रहा होता है अब सौ भी नहीं देता है और रख लेता है । इस वास्ते जब कानून बनाया जाए तो उस कानून के कारण जो परेशानी होती पैदा होती है उस का भी ठीक तरह से अध्ययन कर लिया जाना चाहिये । रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम के विषय में ईमानदारी से कार्यान्वयन की आवश्यकता है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि एन डी सी की बैठक हो रही है और उस में यह एक प्रमुख मुद्दा है । मैं जानना चाहता हूं कि प्लान आउटले में केवल 25 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है क्या आप उस को बढ़ायेंगे ? आप भी सहमत होंगे कि वह बहुत कम है । क्या इस के लिये भी आप कोशिश करेंगे ?

रिहैबिलिटेशन के कार्य में लगी हुई मशीनरी की ईमानदारी पर भी मुझे सन्देह है । मैं जानना चाहता हूं कि एक कमिटेड मशीनरी क्रियेट करने के लिए, जो उन के रिहैबिलिटेशन के कार्य को देखे आप क्या करने जा रहे हैं ? जिन का रिहैबिलिटेशन कर दिया गया है क्या वास्तव में ठीक से, ठीक परस्पेक्टिव में उनका रिहैबिलिटेशन किया गया है या नहीं, इस को देखने के लिये आप के पास कोई ऐजेंसी है या आप कोई ऐसी ऐजेंसी क्रियेट करेंगे ? राज्य सरकारों से पिछले दिनों कहा गया था कि जो ठेके में काम करने वाले कर्मचारी हैं कम से कम यह तो किया ही जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोले जाएं और इन कार्यालयों से नाम ले कर वे अपने यहां मजदूरों को रखें ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितने लोग किस व्यक्ति के यहां काम कर रहे हैं और वे ठीक से उन का पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस के बारे में क्या प्रगति हुई है ।

मैं महसूस करता हूं कि माननीय धर्मवीर जी और आपके रहते निश्चित रूप से इस समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रावत जी ने ठीक कहा कि यह प्रश्न केवल नियम बनाने का नहीं है, बल्कि यह समस्या मानसिक है । आज भी इस देश में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का शोषण कर सकते हैं वह उन की मानसिक ग्रन्थि का परिचायक है । ऐसे लोगों के लिये जब तक कानून का डर न हो तब तक बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना मुश्किल होगा । अधिनियम ही नहीं बनाया, बल्कि आपने कहा कि परेशानियां बढ़ जाती हैं, उन्हे निकाल दिया जाता है और फिर नौकरी नहीं पाते हैं । मैं इस से सहमत हूं कि कानून को लागू करने के साथ यदि कुछ परेशानियां होती हैं तो उन को दूर करने का उपाय भी करना चाहिये । आप ने प्रश्न किया कि कानून के कार्यान्वयन के लिये क्या करते हैं ? तो मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े देश में जहां संघीय सरकार है और उसमें भी यह प्रश्न कि देश के 7 लाख गांवों में से किस किस गांव में और कहां कहां यह कुप्रथा है, किस सुदूर गांव में है, यह पता लगाना कि किस रूप में है, कितना है, केवल केन्द्रीय मशीनरी द्वारा पता लगाना सम्भव नहीं है । यह काम राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जा सकता है । राज्य सरकार पर बराबर दबाव रखते हैं, उन को सुझाव दें और जो उन की रिपोर्ट आये उस का ठीक से अध्ययन करें और फिर उस में अगर कोई गलती है तो उस की ओर ध्यान आकृष्ट करें और उन को कहें, यही हम कर सकते हैं । इस प्रश्न का महत्व आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की सर्वोच्च फोरम, एन० डी० सी० में, जिस की सभापति स्वयं प्रधान मंत्री हैं, उस में इस पर विचार किया जायगा जहां देश के सारे मुख्य मंत्री व अन्य मंत्रीगण रहेंगे ।

[श्री भगवत झा आज़ाद]

इसलिये इसी बात से इस समस्या की गम्भीरता और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। एन० डी० सी० में 20 सूत्री कार्यक्रम पर जो विचार होगा उसमें से यह एक प्रमुख सूत्र है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुनर्वास वाले प्रश्न पर या इस से उत्पन्न कठिनाइयों वाले प्रश्न पर भी हम राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, करते रहेंगे और चाहेंगे कि जब कभी भी बंधुआ मजदूरों को पता लगा जायें उन्हें छुड़ायें और उनका पुनर्वास भी करें।

आप ने जो कहा कि 25 करोड़ रु० छठी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये दिया गया है उस को और अधिक करना चाहिये तो मैं समझता हूं कि जो महत्व इस कार्यक्रम को दिया जा रहा है उस के अनुसार पैसे की कमी रास्ते में नहीं आनी चाहिये। जो 25 करोड़ रु० दिया गया है अगर यह पहले ही समाप्त हो गया तो इस के लिये पुनः विचार किया जा सकता है। इसलिये जब तक यह समाप्त न हो जाय तब तक और पेशकश करना उचित नहीं होगा।

एक प्रश्न आप ने और पूछा है, एक तो कांट्रेक्ट लेबर वाला और घरेलू काम करने वालों के लिये जो आप ने कहा है उस से मैं पूर्णतः सहमत हूं, ऐसे लोग जो काम कराकर पैसा नहीं देते हैं और शिकायत करने पर उल्टे पुलिस वाले उन बेचारे काम करने वालों को ही परेशान करते हैं मालिकों के कहने पर, यह बड़े निन्दनीय व्यक्ति हैं और उन की इस मनोवृत्ति का कोई समर्थन नहीं करेगा। इन घरेलू काम करने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन इस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

रिहैबिलिटेशन की स्कीमें मैं ने बातयीं। जहां तक मानिटरिंग का सवाल है वह हम करते हैं। हम ने राज्य सरकारों को कहा है कि न केवल सचिवालय के स्तर पर बल्कि जिला परिषद् और पंचायत के स्तर पर भी और इस कानून के अन्तर्गत जिलाधीश को और उस के बाद एस० डी० एम० को भी हम ने विजिलैंस कमेटियां बनाने का आदेश दिया है और जहां नहीं बनी हैं, वहां बनवायेंगे ताकि इस पर समय समय पर विचार हो। इस कानून के अन्तर्गत सैक्शन 13 और 10 में जो अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, उस के अनुसार कमेटी बैठे और काम करे, इस से अधिक क्या किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि इस से अधिक तो हमारे श्री राम विलास पासवान ,इस प्रश्न को इस सदन में लाये, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इस से एक वातावरण बनता है, देश के बाहर जो लोग इस सम्बन्ध में काम करना चाहेंगे, उन को उत्साह मिलेगा, राज्य सरकारें जागरूक होंगी कि इस विषय पर ध्यान आकृष्ट हो रहा है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन का ध्यान आकृष्ट करेंगे, उन से भी हम सहयोग लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हर प्रश्न को, बन्धुआ मजदूर के प्रश्न को भी राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, बनाना चाहते हैं, उन से हमारी कोई सहमति नहीं हो सकती है। वह ऐसा करें, उन की इच्छा है, लेकिन ऐसे प्रश्न पर हम सब को मिल कर काम करना चाहिये। इस की व्यापकता, विशालता और वैस्तारिक क्षेत्र को देखते हुए यह कहना कठिन है कि किस प्रकार, किस रूप में और कब यह समाधान किया जाये।

इसलिये ऐसी चर्चा के सहारे हम इस निर्णय पर आते हैं कि राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाये, उन को कहा जाये, उन के लिए धन मुहैया किया जाये और वे स्वयं जो आन-गोइंग स्कीम्स हैं, प्लानिंग है, फूड फार वर्क आपने कहा, उसके अन्तर्गत रूरल डेवलपमेंट फिशरीज, मुर्गा व-सुअर पालन वाले काम, एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे भाग, जहां उन को लगाया जाये, ऐसे काम में

यह करा सकते हैं । इतने अधिक विस्तार के साथ हम ने जो चर्चा की है, मेरा विश्वास है कि इस के अन्तर्गत कार्य करेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी और हम कार्य कर पायेंगे ।

The Lok Sabha then adjourn for Lunch till forty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at forty minutes past Fourteen of the Clock.

[**Mr. Deputy-Speaker** in the Chair]

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 15th March, 1982 will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Submission to the vote of the House of the Demands for Grants on Account (General) for 1982-83.

3. Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (General) for 1981-82.

4. Discussion on the Resolution regarding recommendation of the Railway Convention Committee.

5. Discussion and voting on:

(a) Demands for Grants (Railways) for 1982-83.

(b) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1981-82.

6. Further consideration and passing of the Central Silk Board (Amendment) Bill, 1981.

7. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:—

(a) The Architects (Amendment) Bill, 1980.

(b) The Pensions' (Amendment) Bill, 1981.

(c) The Sales Promotion Employees (Conditions of Services) Amendment; Bill, 1980.

(d) The Pharmacy (Amendment) Bill, 1981.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषयों का समावेश किए जाने की प्रार्थना करता हूं ।

1. अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा सरकार से आग्रह किया गया है कि निगम के कर्मचारियों को देय बोनस का वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत भुगतान कर दिया जाना चाहिए । तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को खादी की वर्दी के स्थान पर टेरीकोट की वर्दी प्रदान की जाये परन्तु सरकार द्वारा कर्मचारियों की इन उचित मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है । अत: सदन में इस विषय पर चर्चा आवश्यक है ।

2. संचार विभाग के अन्तर्गत लगभग 4 लाख अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । कुछ अस्थायी कर्मचारी टेलीफोन विभाग में तथा कुछ अस्थायी कर्मचारी पोस्टल विभाग में जिन्हें ई० डी० कर्मचारी कहा जाता है, कार्य करते हैं । टेलीफोन विभाग में 3 साल तक एक अस्थायी कर्मचारी को मात्र 8 रुपए दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है । तथा 5 साल से 8 साल तक 13 रुपया 20 पैसा मजदूरी दी जाती है । 8 साल बाद कहीं जा कर उन्हें विभागीय सेवा में रेगुलराइज किया जाता है ।